न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 702/2023

अनवान : –

1. ताराचन्द पुत्र काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. महावीर पुत्री काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्री काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।
4. उमा देवी पत्नी काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जोगीआसन स0 3 तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 4.3380 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 के खाता संख्या 34/33 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि काशीराम पुत्र शंकर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में काशीराम पुत्र शंकर के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है काशीराम पुत्र शंकर का देहान्त हो चुका है काशीराम पुत्र शंकर के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 4 है जो काशीराम पुत्र शंकर के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 काशीराम के पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 4 काशीराम की पत्नी एवं वादी व प्रतिवादीगण की माता है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 बहिब काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कु... आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए य... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2074–77 रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 खाता संख्या 22, 34 प्रदर्श–1 व 2, चित्रप्रति अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–3 ए, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र काशीराम प्रदर्श– 4ए आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है वादी के पिता काशीराम पुत्र शंकर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोगीआसन स0 3 तहसील नोहर के खाता संख्या 22/20 की कुल 4.3380 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 के खाता संख्या 34/33 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि काशीराम पुत्र शंकर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी के पिता काशीराम पुत्र शंकर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है प्रतिवादी संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा काशीराम पुत्र शंकर के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन स0 3 तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 4.3380 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 के खाता संख्या 34/33 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि काशीराम पुत्र शंकर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में में मृतक काशीराम पुत्र शंकर का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 4/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:37 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 702/2023

अनवान : –

1. ताराचन्द पुत्र काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. महावीर पुत्री काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्री काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।
4. उमा देवी पत्नी काशीराम जाति धाणक साकिन वार्ड स0 16 नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 702 सन 2023 निर्णय दिनांक 4/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जोगीआसन स0 3 तहसील नोहर के खाता संख्या 22/22 की कुल 4.3380 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा जोगीआसन संख्या 3 के खाता संख्या 34/33 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि काशीराम पुत्र शंकर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में में मृतक काशीराम पुत्र शंकर का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:13:37 IST
Reason: SelfAttested